कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक 4172 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 5-03-2022.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण (किमी0 171.00 से 206.00) प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/151120/2022.

संदर्भः– आपका पत्रांक 4530 / 12–1 (2) दिनांक 23.02.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रस्तावित परियोजना में बॉज वृक्ष काफी अधिक प्रभावित हो रहे है, जिसका एक बार पुनः स्थलीय निरीक्षण कर लें। यदि प्रभावित वृक्षों में कतिपय वृक्षों को पातन होने से बचाया जा सकता हो तो स्थिति स्पष्ट करें। बांज वृक्षों के सम्बन्ध में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को अपने स्तर से निर्देशित करे कि संयुक्त निरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर निरीक्षण हेतु तिथि की जानकारी प्राप्त कर लें तथा निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल पर उपस्थित रहें। साथ ही इस कार्यालय के पत्रांक 1844 / 12–1 (2) दिनांक 11.11.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करें कि वे विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों की हॉर्ड कॉपी इस कार्यालय से प्राप्त कर नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। तभी प्रकरण को ऑन लाईन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।